कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र/भवन मानचित्र शाखा/ 853 दिनांक : 27-1-14

श्री/श्रीमती नवीन कुमार पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी दुग्गड़, 2 श्रीमती सरिता पत्नी श्री
पिता/पत्नी नवीन कुमार जी दुग्गड़ 3 श्री वसन्त कुमार पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी
दुग्गड़ 4 श्री हिम्मतलाल पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी दुग्गड़, 5 श्री सुधीर
कुमार पिता श्री प्रभुदयाल जी गुप्ता।
21-ए. न्यू फतहपुरा, सुखाडिया सर्कल, उदयपुर (राज.), 22 आदिनाथ कॉलोनी फतहपुरा, उदयपुर

विषय : न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आवासीय भूखण्डो पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रांक 0960 दिनांक 16/2/2013 के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास की सोसा. आधारित पट्टा नामी योजना में क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 17, 18 ब्लॉक संख्या × के योजना के प्लान के क्वार्टर / भूखण्ड संख्या 17, 18 क्षेत्रफल 6114'0" वर्गफीट वर्गफीट / वर्गमीटर / वर्गगज पर निम्नलिखित शर्तो के साथ भवन निर्माण की इजाजत दी जाती है। राजस्व ग्राम- देवाली

1. भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेटबेक छोड़कर किया जायेगा। ख.न. - 2155 to 2160
   सामने को सेटबेक 20, 0" एवं 20, 0" फीट
   पीछे का सेटबेक 10, 0" फीट
   पार्श्व का सेटबेक पार्श्व – 1 10, 0" फीट, पार्श्व – 2 × फीट
   उपरोक्त निर्धारित सेटबेक में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाय। Joint P. No. (17+18)
2. भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षैत्रफल भूखण्ड के क्षैत्रफल के As per Plan प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. आपके भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 30, 0" एवं 30, 0" फीट/मीटर पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे।
4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ौस या मोहल्ले में रहने वालो के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
6. आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
7. आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तो एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमो के प्रावधानो के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुडवाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जायेगा।
8. इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग तथा भूतल स्टिल (पार्किंग) + भूतल + 2 मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दो बाबत् वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ–पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
10. भूखण्ड के सामने जहां सीवर लाईन उपलब्ध है, वहां आपके सीवर कनैक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. भूखण्ड कॉर्नर होने पर आपको भूखण्ड के मोड (नुक्कड) पर बाउण्ड्री की दीवार का निर्माण गोलाकार में करना अनिवार्य होगा।
12. भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाये। इस पानी को घरेलु उपयोग में लिया जाय। भूखण्ड में Water Harvesting System लगाना अनिवार्य होगा।
13. भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगायें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन मे सहयोग करें।
14. प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखे तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।
15. भूखण्ड पर निर्मित होने वाला भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हो, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं ही होगी।
16. आवेदित भूखण्ड के क्षेत्र में भविष्य में बनायी जाने वाली नालियों के निर्माण के स्तर को ध्यान में रखते हुए भूखंण्ड की प्लीन्थ रखी जाय।
17. आपको भवन की दीवारें एवं फर्श जलरोधी बनाने होंगे एवं सतह का पानी बहकर अन्दर न घुसे, इस कार की पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।
18. भवन निर्माता/भवन स्वामी द्वारा सैफ्टी टैंक की सफाई के लिये मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जावेगा एवं Dry Latrine का निर्माण भी नहीं करावें।
19. आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार भूतल पर निर्माण स्वीकृति क्षैत्रफल 2360.00 Sq. ft एवं प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर निर्माण स्वीकृति क्षैत्रफल 2360.00 Sq. ft पर ही निर्माण करावें। इससे अधिक क्षैत्रफल पर बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं करावें।

20. आप द्वारा वर्षा जल संग्रहण हेतु अमानत राशि 75000 : 00 अक्षरे Seventy five thousand जमा करायी गयी है। (यदि देय हो तो)

21. आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार चाही गयी निर्माण स्वीकृति के अनुसार निर्मित किये जाने वाले भवन की श्रम विभाग को नियमानुसार कुल निर्माण लागत की एक प्रतिशत सेस राशि देय बनती है, जो आप द्वारा रूपये 61360 : 00 अक्षरे Sixty one thousand three hundred sixty rupees चालान द्वारा दिनांक 12/12/13 को बैंक SBBJ में संयुक्त श्रम आयुक्त वास्ते सचिव, राजस्थान भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, उदयपुर के नाम जमा करायी गयी, जिसकी दो प्रतियां आप द्वारा न्यास में प्रस्तुत कर दी गयी है। (यदि देय हो तो)

22. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 8/4/14 वर्ष के लिये ही मान्य है। इस समयावधि के पश्चात् इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

23. स्टील्ट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा।

सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपी –

1. तहसीलदार, न्यास।
2. भूमि रूपान्तरण शाखा / बिक्री शाखा / नियमन शाखा, न्यास को प्रेषित कर लेख है कि प्लान मूत्र पत्रावली में लगावे।
3. श्रम विभाग, उदयपुर।
4. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।

सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

CONDITIONS :

1. No Projection shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permitted only in way of balcony.
2. Plinth height shall be not less than 2'-0 ft. from a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Kitchen shall be provided with proper ventilation system.
4. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
5. All the latrines and bathrooms shall have at least one external wall with proper ventilations.
6. No living rooms shall cover carpet area less than 100 ft.
7. Clear ceiling height of living rooms shall be not less ban 10'-00" ft. in ground floor adn 10'-00" ft. in upper floors.
8. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
9. Where the government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
10. In case of corner plot, corner of compound wall at road crossing shall be strictly rounded to the radius mentioned in the patta / site plan.
11. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
12. Plot number shall be put on gate pillar.
13. Owner of the house should inform the date of commencement of construction to this office before it actually starts.
14. The house construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approved plan.
15. Rest rules as prevalent in municipal corporation for this clearance and sanction etc. shall be strictly followed.

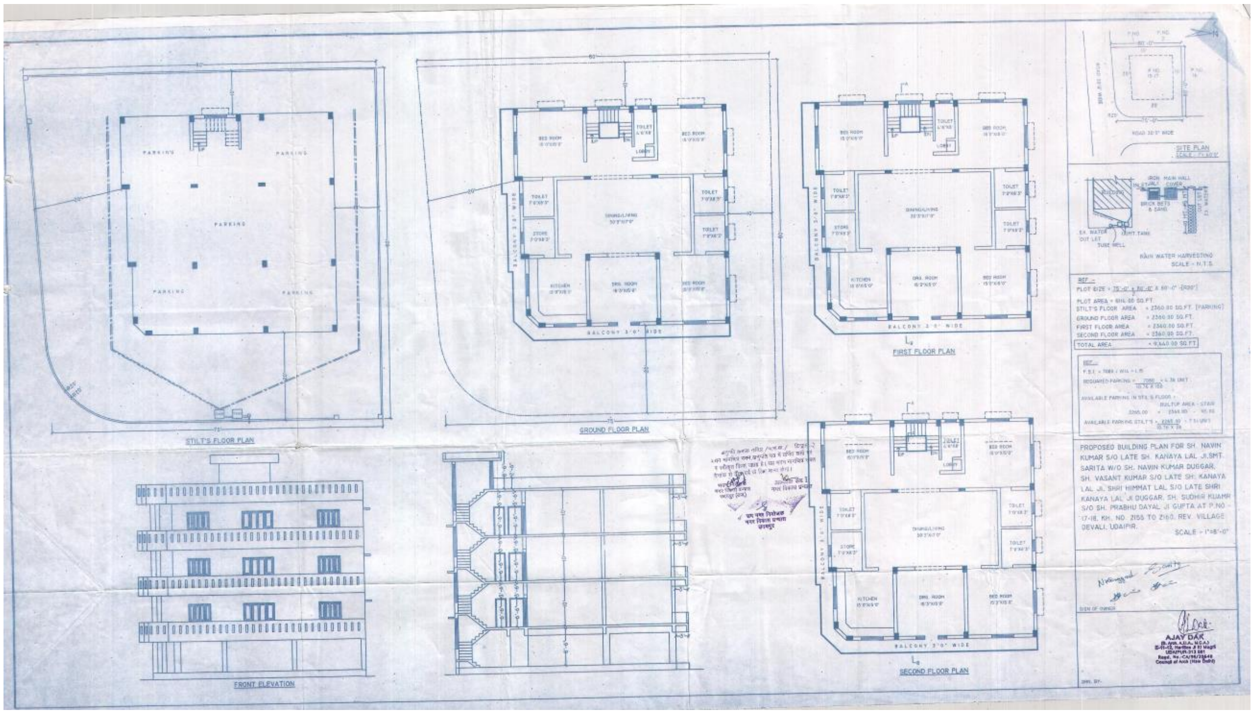
STILT'S FLOOR PLAN
GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
FRONT ELEVATION
SITE PLAN
RAIN WATER HARVESTING
SCALE - N.T.S.
REF. -
PLOT AREA
STILT'S FLOOR AREA = 2360.00 SQ.FT. [PARKING]
GROUND FLOOR AREA = 2360.00 SQ.FT.
FIRST FLOOR AREA = 2360.00 SQ.FT.
SECOND FLOOR AREA = 2360.00 SQ.FT.
TOTAL AREA
PROPOSED BUILDING PLAN FOR SH. NAVIN KUMAR S/O LATE SH. KANAYA LAL JI, SMT. SARITA W/O SH. NAVIN KUMAR DUGGAR, SH. VASANT KUMAR S/O LATE SH. KANAYA LAL JI, SHRI HIMMAT LAL S/O LATE SHRI KANAYA LAL JI DUGGAR, SH. SUDHIR KUAMR S/O SH. PRABHU DAYAL JI GUPTA AT P.NO. 17-18, KH. NO. 2155 TO 2160, REV. VILLAGE DEVALI, UDAIPIR.
SCALE - 1"=8'-0"
SIGN OF OWNER
AJAY DAK